प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' उन्नीस '

[27/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 7017]

परिशिष्ट - "3"

50. **स्थल की आवश्यकताएं** – भूमि के किसी हिस्से का उपयोग भवन निर्माण के लिए स्थल के रूप में नही किया जाएगा–

(क) यदि प्राधिकारी का यह विचार हो कि स्थल अस्वास्थ्यकर है या उस पर भवन बनाना खतरनाक है ।

(ख) यदि स्थल जल निकाय/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो।

(ग) यदि भवन के स्वामी/ आवेदक ने प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में, निर्माण को लगातार सीलन से बचाने के लिए अपेक्षित समस्त उपाय न दर्शा दिए हों ।

(घ) यदि भवन का जनसमूह के एकत्र होने जैसे सिनेमा/थियेटर/ सार्वजनिक पूजन के लिए हो तथा आवेदक ने सम्बद्ध प्राधिकरण के समक्ष अधिकारी से आवश्यक अनुज्ञप्ति अथवा अनापत्ति नहीं प्राप्त कर ली हो ।

(ड.) यदि कोई भवन किसी ऐसे क्षेत्र में प्रस्तावित हो जो कि पिंजरों, मलमूत्र गंदी तथा घृणास्पद वस्तुओं से भरा हुआ हो, जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर दिया जाए कि वह स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से सुरक्षित है तथा उस पर निर्माण किया जा सकता है ।

(च) यदि स्थल पर नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है और उसमें ऐसी व्यवस्था की भी नहीं जा सकती हो।

(छ) यदि स्थल का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए हो जो प्राधिकारी की राय में, आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए कष्टप्रद साबित होगा,

(ज) भू–खण्ड को भवन स्थल के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया हो.

(झ) स्थल पर भवन का प्रस्तावित अधिभोग विकास योजनाओं या परिक्षेत्रिक विनियमों में भवन उपयोग प्रस्तावों के अनुरूप न हो,

(ञ) भवन, लोकोपयोगी सेवाओं जैसे नगरपालिका नाली/मल निकास नाली या मुख्य जल लाइन या परेषण (टान्समिशन) लाईन को विपरित रूप से प्रभावित" करता हो।

51. **सतही जल नालियां**

(1) भवन की सीमा के भीतर स्थित भूमि के किसी भाग या अन्य क्षेत्र से यदि प्राधिकारी आवश्यक समझे, सतही जल नालियों या अन्य उपायों से कारगर रूप से निकाला जाएगा.

परिशिष्ट–ब

वर्ष 2013 से निकाय को दी गई राशि (रू. लाख में) एवं किये गये कार्य

जिला	नगर का नाम	सीवरेज		ठोस अपशिष्ट प्रबधंन		
		राशि	किये गये कार्य	राशि	किये गये कार्य	राशि
अनूपपुर	न.प. अमरकंटक	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 1550.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	15.28	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	178.00
डिण्डौरी	न.प. डिण्डौरी	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 3000.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	12.22	डोर टू डोर कलेक्शन हेतु 05 वाहन क्रय	268.20
मण्डला	न.पा. मण्डला	99.22	03 नालों को डायवर्ट कर एसटीपी निर्मित कर गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सीवरेज योजना के लिये केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक के वित्त पोषण से योजना प्रस्तावित है। फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है।	28.23	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	182.40
जबलपुर	न.प. बरेला	–	–	7.21	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	–
	न.पा. पनागर	–	–	15.94	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	–
	न.नि. जबलपुर	5,880.00	190 किमी. पाइप लाइन एवं 50 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अमृत योजनान्तर्गत सीवरेज डीपीआर तैयार की जा रही है।	25.36	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	17436.40
	न.प. भेड़ाघाट	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 1000.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	3.80	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	571.00
नरसिंहपुर	न.पा. करेली	–	–	17.09	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	400.00
	न.प. साईखेड़ा	–	–	4.59	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	–
होंशगाबाद	न.पा. होशंगाबाद	–	सीवरेज योजना के लिये केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक के वित्त पोषण से योजना प्रस्तावित है। फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है।	28.53	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	182.00
	न.प. शाहगंज	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 2500.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	5.10	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	468.13

जिला	नगर का नाम	सीवरेज		ठोस अपशिष्ट प्रबधंन		
		राशि	किये गये कार्य	राशि	किये गये कार्य	राशि
सीहोर	न.प. बुदनी	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 1500.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	9.70	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	598.14
	न.प. रेहटी	–	–	6.85	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	32.05
	न.प. नसरूल्लागंज	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 4800.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	13.41	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	239.47
देवास	न.प. नेमावर	–	योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। डीपीआर तैयार की जा रही है।	10.08	ट्रेक्टर, ट्राली, कन्टेनर एवं चलित मूत्रालय क्रय।	–
खण्डवा	न.प. ओंकारेश्वर	243.11	नगर के प्रमुख गंदे नालो पर (04 स्थानों पर) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जा रहे है। 02 एसटीपी का कार्य पूर्ण है। शेष का कार्य प्रगति पर है। योजना की डीपीआर (राशि रू. 2500.00 लाख) तैयार की गई है। सीवरेज योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	5.74	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	190.00
खरगौन	न.पा. बड़वाह	–	–	15.10	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	56.96
	न.प. महेश्वर	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 4400.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	13.93	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	180.00
	न.प. मण्डलेश्वर	–	योजना की डीपीआर (राशि रू. 4500.00 लाख) तैयार की गई है। योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। निविदा आमंत्रण शीघ्र ही किया जायेगा।	6.75	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	776.46
धार	न.प. धामनौद	–	–	18.32	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	49.80
	न.प. धरमपुरी	–	योजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित है। डीपीआर तैयार की जा रही है।	5.00	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	32.15
बड़वानी	न.प. अजंड़	–	–	15.80	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	–
	न.प. बड़वानी	–	सीवरेज योजना के लिये केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक के वित्त पोषण से योजना प्रस्तावित है। फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है।	28.53	कचरा वाहन एवं रिक्शा गाड़ी क्रय किये गये।	145.50

टीपः– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को क्लस्टर में विभक्त कर जन–निजी भागीदारी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त समस्त नगर इन क्लस्टर में सम्मिलित हैं।